न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 –185/2017

अनवान : –

1. सहनु पुरी उर्फ शिवभगवान चेला जगमाल पुरी उर्फ जगदीश पुरी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए.

उपस्थिति :– राजेन्द्र कालीरावना वकील वादी
राज पेरोकार वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः– 06.10.2017

सक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं. 498 की 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 499 की 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 8 बिघा 18 बिस्वा भूमि सदामत से वादी के गुरू जगमाल पुरी एवं उनके गुरूओं के समय से निर्मित जगदीश पुरी के मन्दिर की खातेदारी कृषि भूमि है एवं मन्दिर के पुजारी होने के नाते सेवा की एवज में पहले ादी के गुरू के कब्जा काश्त में चली आ रही थी एवं वादी का गुरू ही उक्त भूमि का काश्तकार था।

उपर वर्णित खसरा नं. 498 व 499 की कुल 8 बिघा 18 बिस्वा कृषि भूमि का एक प्लाट है जिसमें जगदीश पुरी का मन्दिर बना हुआ है, वादी के गुरू की समाधी बनी हुई है, श्रद्धालुओं के पीने का एक कुण्ड बना हुआ है। पुजारी व उनके परिवारों के लिए रिहायश मकान बने हुये है।

वादी के गुरू जगमाल पुरी उर्फ जगदीश पुरी ने वादी को अल्प आयु में ही उक्त मन्दिर की पूजा अर्चना एवं सेवा के लिए अपना चेला नियुक्त कर लिया था जिसकी बाबत वादी के गुरू जगमाल पुरी उर्फ जगदीश पुरी ने एक वसीयत दिनांक 07.10.1982 को वादी के पक्ष में कर दी थी। जगमाल पुरी उर्फ जगदीश पुरी के देहान्त के बाद वादी इस मन्दिर में पूजा अर्चना एवं सेवा करने जग गया परन्तु गम पैमाईस में भू–प्रबंधक के कर्मचारियों ने बिना अधिकार खिलाफ कानून गलत तरीके से जगदीश पुरी के मन्दिर की खातेदारी एवं वादी के गुरू की काश्तकारी उपरोक्त कृषि भूमि को गलत तौर पर कुण्ड व मन्दिर के नाम से गैरमुमकीन दर्ज कर दी है। अतः वादी यह घोषणा करवा पाने का मजाज कानुनी है कि दावा की मद सं. 1 में दर्ज उपरोक्त कृषि भूमि का जगदीश पुरी मन्दिर खातेदार है एवं वादी

उसका काश्तकार है। अतः इसी घोषणा अनुरूप राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा पाने का मजाज है।

उपरोक्त कृषि भूमि जगदीश पुरी के मन्दिर की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर वादी अपने गुरू के समय ये ही बतौर काश्तकार चला आ रहा है तथा उक्त भूमि ही मन्दिर का एकमात्र जरीया है। चुंकि प्रतिवादी वादी को उक्त भूमि से बेदखल कराने पर आमदा है अगर प्रतिवादी अपने उददेश्य में कामयाब हो गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादी प्रतिवादी को जरिऐ स्थायी निषेधाज्ञा रूकवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि वह दावा की मद सं. 1 में दर्ज उक्त भूमि से वादी को बेदखल नही करे।

वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 01.09.2017 को कि वह उक्त भूमि को जगदीश पुरी के मन्दिर के नाम खातेदारी व वादी को काश्तकार दर्ज कर देवे तो वह ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया कि अर्जीदावा की मद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा सं. 499 की 4.10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर के नाम से दर्ज होने से इन्कारी नही है एवं खसरा सं. 498 की भूमि में कुण्ड बना हुआ है एवं राजस्व रिकार्ड में मन्दिर व कुण्ड के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी स्टेट का जवाब पेश होने पर तनकीयात कायम गई। बाद पत्रावली साक्ष्य हेतुं रखी गयी। साक्ष्यवादी में पी.डब्ल्यू 1 में साहनु पुरी उर्फ शिवभगवान चेला जगमाल पुरी उर्फ जगदीश पुरी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा ने अपने साक्ष्य की ताहिद में जमाबंदी रोही मोजा अजीतपुरा सम्वत 2070–73 खाता संख्या 791/93, एवं 792/454 प्रदर्श 1, पी.डब्ल्यू 2 में चतरसिह पुत्र रामकुमार जाति नायक नवासी अजीतपुरा तहसील भादरा, पी.डब्ल्यू 3 में दलीप पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जिसमें गवाहो ने खसरा सं. 498 व 499 की 8 बिघा 10 बिस्वा भूमि को सदामत से वादी सहानुपुरी के गूरू एवं उनके गुरूओं के समय से निर्मित जगदीश पुरी के मन्दिर की खातेदारी होना बताया है। बहस उभय पक्ष सुनीं गई। वकील वादी ने मुताबिक दावा अनुतोष वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा अजीतपुरा के खसरा सं. 498 की 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 499 की 4 बीघा 10 बिस्वा कुल 8 बिघा 18 बिस्वा भूमि सदामत से वादी के गुरू जगमाल पुरी एवं उनके गुरूओं के समय से निर्मित जगदीश पुरी के मन्दिर की खातेदारी कृषि भूमि में मन्दिर व कुण्ड तथा गेरमुमकीन का इन्द्राज कलमजन कर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुरी के मन्दिर की खातेदारी तथा वादी को उसका काश्तकार की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। तथा प्रतिवादी ने अपने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि वादभूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर व कुण्ड के नाम से दर्ज है।

अतः वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खसरा सं. 498 की 4 बिघा 8 बिस्वा व खसरा सं. 499 की 4 बिघा 10 बिस्वा कुल 8 बिघा 18 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में से मन्दिर व कुण्ड का नाम कलमजन कर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुरी के मन्दिर के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है व वादी को काश्तकार दर्ज किया जावे। इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसीनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर सलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

मि0न0 –185/2017

अनवान : –

1. सहनु पुरी उर्फ शिवभगवान चेला जगमाल पुरी उर्फ जगदीश पुरी निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए.

आज यह वाद मुझ श्री ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) राजेन्द्र कालीरावणा व राज पैरोकार की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने पर वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खसरा सं. 498 की 4 बिघा 8 बिस्वा व खसरा सं. 499 की 4 बिघा 10 बिस्वा कुल 8 बिघा 18 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में से मन्दिर व कुण्ड का नाम कलमजन कर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुरी के मन्दिर के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है व वादी को काश्तकार दर्ज किया जावे। इसीनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक **06.10.2017** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ